



प्रधानमंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय

सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010
website-www.sudaup.org
e-mail-hfaup1@gmail.com

पत्रांक:-7620 / 03 / 29 / HFA-DPR/PMC-Vol-II / 2018-19

दिनांक:-04 दिसम्बर, 2018

समस्त परियोजना अधिकारी / सहायक अधिकारी,
जिला नगरीय विकास अभिकरण, उत्तर प्रदेश।


विषय:- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को अन्य फ्लैगशिप स्कीम यथा-सौभाग्या, उज्ज्वला, अमृत, सोलर पावर, जनधन योजना, PMJJBY, PMSBY में कन्वर्जन कर लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक निदेशक (एचएफए- I), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक एन-11021 / 11 / 2017-HFA I Section I (FTS-3146002) दिनांक 30 नवम्बर, 2018 का सन्दर्भ लें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिनांक 24.07.2018 को Committee of Secretaries की बैठक में निम्न निर्णय लिये गये:-

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित किये जा रहे आवासों में सौभाग्या, उज्ज्वला, अमृत, सोलर पावर, जनधन योजना, PMJJBY, PMSBY आदि अन्य फ्लैगशिप स्कीमों में कन्वर्जन कर लाभान्वित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।
2. पूर्ण/निर्माणाधीन परियोजनाओं के अनावंटित आवासों से तथा प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद के पास उपलब्ध भूमि से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अन्तर्गत आवासों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति की जाये।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार Committee of Secretaries द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- यथोपरि।


(उमेश प्रताप सिंह)

मिशन निदेशक (एचएफए) /
निदेशक, सूडा।

प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष, सूडा, उ0प्र0।
2. निदेशक, आवास बन्धु, जनपथ मार्किट, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. समस्त पीएमसी कन्सलटेन्ट्स को इस निर्देश के साथ कि कन्वर्जन हेतु परियोजना अधिकारी, सूडा को सहयोग करें।


(उमेश प्रताप सिंह)
मिशन निदेशक (एचएफए) /
निदेशक, सूडा।